बिहार विधान सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि १८ अक्तूबर १९५५ को ९ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS: OFFICIAL BILL.

बिहार कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऐन्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रैगमेन्टेशन बिल, १९५५ (१९५५ की वि० सं० ३५) ।

THE BIHAR CONSOLIDATION OF HOLDINGS AND PREVENTION OF FRAGMENTATION BILL, 1955 (BILL NO. 35 OF 1955).

श्री त्रिवेणी कुमार—अध्यक्ष महोदय, कल मैंने इस बिल का सैलिएन्ट फीचर आपके सामने रख रहा था। मैं कह रहा था कि किस ढंग से आप एक एरिया को नोटिफाई करेंगे इसके बाद कन्सोलिडेशन का काम शुरू होगा। दफा ७ के अनुसार ग्राम-समिति बनेगी। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सन् १९४७ में सरकार ने एक को-ऑपरेटिव फार्मिंग कमिटी नियुक्त की थी और इस संबंध में उस कमिटी ने जो लिखा है उसे मैं पढ़ देता हूँ :

"Village Panchayats should be given powers to adjust and approve of mutual exchange of plots. Applications for exchange signed by both parties and countersigned by the Sarpanch should be considered as registered documents. These transactions should be exempted from stamp duties."

मंजूदा बिल में पंचायत को शामिल करने की बात तो अवश्य ही कही गयी है लेकिन जिस रूप में कमिटी की सिफारिश थी उस रूप में ऐसोसियेट नहीं किया गया है। दफा ८ के मुताबिक आप रेकर्ड ऑफ राइट तैयार करेंगे और दफा ९ के मुताबिक आप जमीन का रजिस्टर तैयार करेंगे। दफा १० के मुताबिक रजिस्टर को प्रकाशित करेंगे और उसके ऑबजेक्शन को सुनेंगे और तब उसके बाद दफा ११ के मुताबिक आप स्कीम तैयार करेंगे। योजना का प्रारूप तैयार हो जाने पर यदि ऐडवाइजरी कमिटी और कौन्सोलिडेशन अफसर में मतभेद हो तो डाइरेक्टर ऑफ कौन्सोलिडेशन का आर्डर लेना होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि एक स्कीम को फाइनेलाइज होने में ५ जगहों पर आप तीस-तीस दिनों की अवधि ऑबजेक्शन वगैरह सुनने के लिये रखे हैं और इसके अन्दर यह नहीं लिखा हुआ है कि कितने दिनों के अन्दर सरकारी अफसर आपत्तियों का निर्णय करेंगे। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि किसी स्कीम को टेक अप करने का मतलब होगा कि कम से कम इनको दो वर्ष लगेगा काम को शुरू करने में। मैं आशा करता हूँ कि प्रवर समिति इस पर विचार करेगी और देखेगी कि किस तरह इस अवधि को कम किया जाय।

दफा ५ और ६ के मुताबिक आपने यह रखा है कि जब आप किसी इलाके को नोटिफाई कर देंगे तो उस इलाके की जितनी जमीनें हैं, उसका ट्रांसफर रुक जायगा। जमीन का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐक्ट और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से गवर्न होता है। इसलिये मुझे इस बात का शक है कि ऐसा न हो कि आपका यह कानून इसी आधार पर अवैध घोषित हो जाय। जब आपको कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग करना है तो

चलेगा। अभी ३० एकड़ सीलिंग रखने की बात है। आगे चल कर एक्जेम्पशन की बात हम रखना चाहते हैं, या सेलेक्ट कमिटी इस बात को ला सकती है। मैं खुद इस प्रोविजन को लाऊंगा। मैंने कह दिया जिसमें इसको कन्सिडर करने में सुविधा हो। जितनी बातें कही जायंगी उनका जवाब मैं वक्त पर दूंगा और बता दूंगा कि क्यों मुझे यह बिल लाना पड़ा है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं और इतना ही कह कर समाप्त करता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमिटी को सौंपा जाय।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

पुलिस की लापरवाही।

अ-३३। श्री त्रिवेणी कुमार—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि बटाईदारी आन्दोलन के संबंध में अगस्त २७, १९५५ को रायपुर, थाना बिहपुर (भागलपुर) के किसानों पर भवानीपुर (बिहपुर, भागलपुर) के जमींदारों ने गोलियां चलाई जिनमें छः किसान मर गये तथा चौदह घायल हुए;

(२) क्या यह बात सही है कि अगस्त २५, १९५५ को रायपुर की ग्राम पंचायत के मुखिया ने लिखित तौर पर स्थानीय पुलिस को यह सनहा दिया था कि उक्त जमींदार उन लोगों पर बन्दूक, लाठी आदि हथियारों से क्रूर हमला करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं तथा लठैत इकट्ठा किये हुए हैं;

(३) क्या यह बात सही है कि पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने पर उक्त मुखिया ने बाजाप्ता तौर पर स्थानीय एस० डी० ओ० को उसी आशय का आवेदन-पत्र दिया जिस पर एस० डी० ओ० ने संबंधित पुलिस को तात्कालिक कार्रवाई करने के लिये आदेश दिया?

(इस समय उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

उपाध्यक्ष—अल्प-सूचना प्रश्न अ-३३ का उत्तर दें।

कुमार रघुनन्दन प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। यह प्रश्न जो पूछा गया है वह भागलपुर एस० डी० ओ० के इजलास में विचाराधीन है।

श्री त्रिवेणी कुमार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि दो बार इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तब मैंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह करके तीसरी बार ऐज स्पेशल केस इस प्रश्न को पूछा है। और इस बार भी अगर जवाब नहीं मिलेगा तो यह प्रश्न लैप्स हो जायगा।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य क्या बता सकते हैं कि मुकदमा चूंकि चल रहा है इसलिए यह प्रश्न सबजुडिस है?

श्री त्रिवेणी कुमार—उपाध्यक्ष महोदय, मुकदमे के संबंध में या पुलिस के संबंध में या पुलिस के कंडक्ट के संबंध में मैंने इसमें कुछ नहीं पूछा है।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जाय जो सबजुडिस हो और इसके जज आप रहेंगे।

उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री इसका उत्तर दें।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१) यह बात सही है कि खेत लेकर विलेज रायपुर, थाना बिहपुर में २७ अगस्त, १९५५ को एक बलवा हुआ जिसमें रायपुर ग्राम के ६ व्यक्ति मारे गये और उसी ग्राम के लगभग १६ आदमी, जो जख्मी हैं, क्षतिग्रस्त हुए। ग्राम भवानीपुर थाना बिहपुर के जमीन्दार और उनके कुछ लोग मुकदमे में ऐक्युज्ड किये गये हैं।

(२) रायपुर ग्राम पंचायत के मुखिया ने या अन्य कोई आदमी बीहपुर थाने में ऐप्रिहेन्शन ऑफ ब्रीच ऑफ दी पीस की रिपोर्ट नहीं की।

(३) यह बात सही है कि सबडिविजनल मैजिस्ट्रेट, सदर भागलपुर के यहां एक दरखास्त पड़ी कि ग्राम भवानीपुर के जमीन्दारों के द्वारा रायपुर के किसानों के ऊपर ऐप्रिहेन्शन ऑफ ट्रब्ल की संभावना है।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—२६ अगस्त, १९५५ को एक दर्खास्त दिया था। सबडिविजनल मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया २६ अगस्त, १९५५ को जिसमें उन्होंने बिहपुर थाना के पुलिस को हिदायत किया कि सब मामले की जांच करें और यह देखें कि वहां पर कोई दंगा फसाद नहीं होता है। २६ अगस्त, १९५५ का यह आदेश एस० डी० ओ० का दस्ती सम्मन श्री जागेश्वर शर्मा को दिया गया था। लोकल पुलिस इस बात से इन्कार करती है कि उसको कोई एस० डी० ओ० का आदेश मिला था। ऐसा मालूम होता है कि एस० डी० ओ० के ऑर्डर देने पर भी २७ अगस्त, १९५५ को जब तक घटना हुई तब तक पुलिस को एस० डी० ओ० का आदेश नहीं मिल सका।

चार गिरफ्तारी का वारन्ट हुआ और ८७ और ८८, सी-आर० पी० सी० की कार्रवाई का आदेश १९ व्यक्ति के विरुद्ध जारी हुआ था और इसका नतीजा यह हुआ कि १३ कोर्ट में सरेन्डर हुए और कुछ गिरफ्तार हुए। ये चार व्यक्ति जिन पर मुकदमा चलाया गया है सेशन जज के आदेश से बेल पर छोड़ दिये गये हैं। कोशिश की जा रही है कि दूसरे ऐक्युज्ड जो फरार हैं उनको गिरफ्तार किया जाय।

श्री त्रिवेणी कुमार—सरकार ने बताया कि २६ तारीख को एस० डी० ओ० को दर्खास्त दी गयी कि गांव में घटना होनेवाली है लेकिन इस बात से इन्कार किया कि पुलिस को कोई दर्खास्त दी गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बात को जानती है कि २६ तारीख को जो एस० डी० ओ० को दर्खास्त दिया गया उसमें भी लिखा हुआ है कि एक लिखित दर्खास्त पुलिस को दिया लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैंने कहा कि बिहपुर पुलिस-स्टेशन के रायपुर के मुखिया ने इनफॉर्मेशन नहीं दिया था। यह दूसरी बात है कि उन्होंने अपने दर्खास्त में लिख दिया कि मैंने दर्खास्त दी थी।

श्री त्रिवेणी कुमार—मैं पूछना चाहता हूं कि एस० डी० ओ० को जो दर्खास्त दी गयी उसमें यह लिखा हुआ है कि नहीं कि पुलिस को एक दर्खास्त दी गयी थी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस तो ऐसा कह सकती है कि दर्खास्त नहीं दी गयी।

उपाध्यक्ष—उससे इनफरेन्स जो भी निकालें। आप इतना जानना चाहते हैं कि उसमें लिखा हुआ था या नहीं।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री त्रिवेणी कुमार—दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि एस० डी० ओ० ने जो दस्ती सम्मन दिया वह पुलिस स्टेशन में कब पहुंचा?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—घटना के पहले पुलिस को नहीं मिला था।

श्री त्रिवेणी कुमार—सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुलिस के सब-इंसपेक्टर को पहले भी दर्खास्त दी गयी थी जिसको सब-इंसपेक्टर इन्कार करते हैं?

उपाध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री त्रिवेणी कुमार—उपाध्यक्ष महोदय, हम उस जगह पर गए हैं, हमारा पर्सनल नौलेज है। सीधे आकर कह दें कि दर्खास्त नहीं दिया गया है यह कैसे हो सकता है, रजिस्टर्ड करके तो नहीं दिया गया था। इस पर इन्क्वायरी होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष—सरकार का ध्यान आप इस ओर आकर्षित कर सकते हैं यह दूसरी बात है।

श्री त्रिवेणी कुमार—क्या सरकार इस बात की जांच करना चाहती है कि पुलिस को २५ अगस्त को भी लिखित दर्खास्त दी गयी थी कि मार-पीट होने वाला है, इसका प्रबन्ध किया जाय और एस० डी० ओ० ने जो दस्ती सम्मन दिया उसको २५ अगस्त की रात में दे दिया गया था कि इस सम्बन्ध में प्रबन्ध किया जाय, क्या सरकार इस पर जांच कराने का विचार करती है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—इसका उत्तर ना है।

*श्री रामानन्द तिवारी—क्या सरकार को यह बात मालूम है कि गांव के चौकीदार ने थाने में कोई खबर दी थी कि नहीं?

श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—मेरा एक प्वायंट ऑफ ऑर्डर है, उपाध्यक्ष महोदय। मुकदमा चल रहा है, सारी बातों पर तजवीज हो रही है। इस पर प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।

उपाध्यक्ष—पुलिस ने प्रौम्प्ट (prompt) ऐक्शन लिया या नहीं इस बात पर प्रश्न पूछा जा सकता है इसलिए मैं इस प्वायंट ऑफ ऑर्डर को नहीं मानता हूं। मंत्री जी जवाब दें।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—२७ अगस्त, १९५५ को १२ बजे खबर मिली और सब-इंसपेक्टर रामेश्वर पासवान तुरंत ही रवाने हो गए।

श्री रामानन्द तिवारी—गोली चलने के पहले या मार-पीट होने के पहले चौकीदार ने थाने में इत्तिला दी या नहीं?

उपाध्यक्ष—इसका उत्तर हो चुका है।

श्री रामानन्द तिवारी—मिलेज चौकीदार की यह डियुटी है कि नहीं.....

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। मैं डिटेल में जाने नहीं दूंगा। चौकीदार ने खबर दी या नहीं उसका उत्तर मिल चुका है। चौकीदार की डियुटी क्या है यह अलग चीज है।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं पूछना चाहता हूं कि गोली चलने के बाद खबर दी या पहले खबर दी।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—चौकीदार ने १२ बजे खबर दी, दारोगा फौरन रवाना हुआ, साढ़े तीन बजे वहां पहुंचा। उसके पहले ही ११ बजे घटना घट चुकी थी।

श्री रामानन्द तिवारी—दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं ग्राम के चौकीदार का कर्त्तव्य है कि नहीं कि अगर गांव में किसी तरह का झगड़ा या फसाद हो जाय तो वह पहले जाकर थाने में खबर दे ताकि थानेदार या कोई अफसर आकर कंट्रोल करे?

उपाध्यक्ष—जहां तक पुलिस के ऐक्शन का प्रश्न है यानी पुलिस ने ऐक्शन लिया या नहीं, अथौरिटीज ने ऐक्शन लिया या नहीं, यहीं तक प्रश्न सीमित रहेगा। उससे आगे आप नहीं पूछ सकते हैं।

*कुमार रघुनन्दन प्रसाद—पुलिस ने जिनलोगों के खिलाफ कार्रवाई की यानी जो लोग मारे गये, जख्मी हुए, उनके सम्बन्ध में १०७ की कार्रवाई की और मुचल्का....

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। आप यह प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

कुमार रघुनन्दन प्रसाद—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिस रोज यह घटना हुई उसके पहले चौकीदार ने खबर दी थी कि जो लोग मुदालेह हैं वे जमीन की फसल को लूटना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष—पहले खबर दी थी या नहीं, इतना ही प्रश्न आप पूछें।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—हुजूर, मैंने इसका उत्तर दे दिया है कि चौकीदार २७ अगस्त, १९५५ को १२ बजे आया और उसने खबर दी कि ब्रीच ऑफ पीस का खतरा है। सब-इंस्पेक्टर फौरन वहां के लिए रवाना हुए लेकिन जब वे वहां पहुंचे उससे पहले घटना घट चुकी थी।

कुमार रघुनन्दन प्रसाद—क्या यह बात सही है कि जिनलोगों ने किसानों के खिलाफ रायट किया उनके सम्बन्ध में भवानीपुर के किसानों ने इत्तिला.....

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, इस तरह का सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं।

श्री तनुक लाल यादव—मैं यह जानना चाहता हूं कि यह घटना कहां घटी, जमीन पर घटी या बस्ती में?

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, यह नहीं पूछ सकते हैं।

(कई सदस्य एक ही साथ पूरक पूछने के लिए खड़े हो गये।)

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, हर प्रश्न पर कितना समय लेना चाहिए और कितना पूरक पूछना चाहिए इसकी निगरानी और नियंत्रण अध्यक्ष के हाथ में है। मैं देख रहा हूं कि यह पहला प्रश्न है और इसी में २०, २५ मिनट लग गये। आखिर इसकी भी कुछ सीमा होनी चाहिए कि कब तक पूरक पूछे जायंगे। फिर भी चूंकि माननीय सदस्य इस प्रश्न के लिए काफी चिन्तित हैं, इसलिए मैं दो एक सदस्यों को पूरक की इजाजत देता हूं।

श्री जगलाल चौधरी—सरकार ने कबूल किया है कि २६ तारीख को एस० डी० ओ० को खबर हुई और खबर हो जाने के बाद २७ तारीख को घटना घटी तो मैं पूछता हूं कि घटना के पहले कोई अफसर वहां नहीं पहुंचे इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—उपाध्यक्ष महोदय, यहां जिम्मेदारी का कोई सवाल नहीं उठता है। एस० डी० ओ० ने वस्ती सम्मन दिया लेकिन वह सम्मन थाने में दूसरे रोज दिया गया और सब-इंसपेक्टर फौरन् वहां रवाना हुए, लेकिन उससे पहले घटना हो चुकी थी।

श्री जगलाल चौधरी—२६ तारीख को खबर दी गई और २७ तारीख तक सम्मन नहीं पहुंचाया जा सका इसके लिए सरकार ने कोई कारवाई की ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—जी नहीं, और सरकार कोई कार्रवाई करने के लिए सोचती भी नहीं है, क्योंकि सरकार सोचती है कि इसमें पुलिस का कसूर नहीं था।

*श्री रामानन्द यादव—एस० डी० ओ० को मालूम था और उन्होंने दस्ती सम्मन किसी शर्मा जी के जरिए पुलिस अफसर को भेजा तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एस० डी० ओ० ने गुनाह किया या नहीं कि सम्मन किसी सरकारी व्यक्ति के द्वारा नहीं भेजकर एक साधारण आदमी के द्वारा भेज दिया ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—हमारा ख्याल है कि यह कोई ग़लत काम नहीं हुआ। असल सवाल यह है कि जिन्होंने दरखास्त दिया था उनका इसमें इंट्रेस्ट था, इसलिये एस० डी० ओ० ने उन्हें दस्ती सम्मन दे दिया लेकिन यह सम्मन पुलिस स्टेशन में देर करके पहुंचा।

श्री रामानन्द यादव—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि एस० डी० ओ० किसी सरकारी आदेश को गैर-सरकारी आदमी के जरिए भेजने के एन्टाइटिल्ड हैं ? अगर नहीं हैं तो क्या सरकार एस० डी० ओ० के खिलाफ कारवाई करेगी ?

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, इसका जवाब मिल चुका है।

(कई सदस्य एक साथ जवाब के लिए बोलने लगे और सदन में हल्ला होने लगा।)

उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जवाब देना चाहें तो दें।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहा है कि एस० डी० ओ० ने गैरवाजिब काम नहीं किया है। मैं यह भी कह रहा हूं कि यह रिकोग्नाइज्ड प्रैक्टिस है कि जो पार्टी ब्रीच ऑफ पीस एप्रिहेन्ड करे और वह सम्मन मांगे तो उसे एस० डी० ओ० का सम्मन दे देना इरेंगुलर या आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

अध्यापक तथा उनकी पत्नी का पीटा जाना।

अ-१४३। श्री राम अयोध्या प्रसाद—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गांधी विद्यालय, भेलवा, थाना घोड़ासहन (चम्पारण) के प्रधान अध्यापक तथा उनकी पत्नी को आधी रात को अगस्त, १९५५ में कुछ अभद्र पुरुष ने बुरी तरह से पीटा है ;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो प्रधान अध्यापक, गांधी विद्यालय, भेलवा ने किन-किन व्यक्तियों के ऊपर मारने का इल्जाम लगाया है तथा वे व्यक्ति आजकल किन-किन पदों पर काम कर रहे हैं ;